कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

फोन नं० 0621–2225030, ई–मेल :– csmuz@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार के अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 379 (9) दिनांक 17.08.2002 के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों ईत्यादि के लिए वित्तीय वर्ष 17–18 में औषधियों/मशीन उपकरण एवं सामग्रीयों आदि के क्रय हेतु निर्माताओं एवं अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहर बंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस निविदा के सामाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए।

निविदा की अन्य सभी शर्ते तथा औषधि/उपकरणों की सूची वेबसाईट www.muzaffarpur.bih.nic.in पर उपलब्ध है। औषधि/उपकरणों की सूची एवं निविदा की शर्ते संबंधी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भी उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में अपने खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा दो प्रकार की होगी (क) तकनीकि निविदा (ख) वित्तीय निविदा। दोनों प्रकार की निविदा अलग–अलग लिफाफों में मुहरबंद होनी चाहिए तथा सबंधित लिफाफा के उपर तकनिकी एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। दोनों लिफाफा को एक बड़ा लिफाफा में सीलबंद होना चाहिए अगर दोनों निविदा अलग–अलग समर्पित की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:–
2. निविदा दाता को निविदा के साथ सत्यांकर राशि (Earnest Mony) 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से हो, संलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदन होने पर जबतक आपूर्ति चलता रहेगा सत्यांकर राशि की वापसी नहीं होगी।
3. वैल्यू एडेड टैक्स (VAT)/GST का निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयकर विभाग से निर्गत पैन कार्ड एवं अद्यतन आय कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. औषधि आपूर्ति के लिए निविदा दाता को औषधि अनुज्ञप्ति (निर्माण/विक्रय) एवं इसके अधतन नवीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदा दाता यदि निर्माता नहीं है तो निर्माता का अधतन प्राधिकार पत्र, निर्माण अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं नविनीकरण प्रमाण पत्र की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निर्माता का औषधि उत्पाद सूचि (अनुज्ञप्ति में अनुमोदित) संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निर्माता एवं निविदा दाता के द्वारा निर्माण (औषधि) कम्पनी का GMP प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदा दाता अगर निर्माता है तो अपने फार्म का Non Conviction Certificate (सक्षम प्राधिकारी से निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा दाता अगर निर्माता नहीं है तो वैसी परिस्थिति में निर्माता फर्म एवं निविदा दाता दोनों का Non Conviction Certificate (सक्षम प्राधिकारी से निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य है। NCC निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को 6(छः) माह से अधिक पुराना न हो।
10. निविदा दाता फर्म का भौतिक अस्तित्व प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदा दाता को तकनिकी निविदा के साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि निविदा दाता को किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूचि में दर्ज नहीं किया गया है। निविदा में वर्णित औषधियों का दर NPPA द्वारा अनुमोदित दर से अधिक नहीं हो तथा उत्पाद के बाजार दर से 20 प्रतिशत कम हो साथ ही NPPA के From V में औषधियों का मुल्य सूचि संलग्न करना है।

12. लघुउद्योग इकाई से निबंधित संस्थान जो सत्यांकर राशि (Earnest Money) में छूट का दावा करेंगे उन्हें सरकारी अ की छाया प्रति एवं लघुउद्योग इकाई का निबंधन प्रमाण पत्र तथा अद्यतन उत्पादनरत होने का प्रमाण पत्र भी स करना अनिवार्य होगा।

13. सभी कागजात निविदादाता के द्वारा स्व.अभिप्रमाणित होनी चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा के लिए शर्त निम्नलिखितः–

1. वित्तीय निविदा में औषधियों का दर प्रति टेबलेट/प्रति कैप्सुल/प्रति एम्पुल/प्रति भाईल/प्रतिसैचेट/प्रति बोतल साईज सहित अंकित करना है। औषधियों का दर टैक्स रहित एवं टैक्स सहित स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना अनिव है। निविदादाता औषधि के नाम के साथ निर्माता का नाम भी अंकित करेंगे।
3. आपूर्ति की जानेवाली औषधि की जीवन क्षमता (Life Period) आपूर्ति तिथि को न्युन्तम 80% होना चाहिए।
4. आपूर्ति किये गये दवाओं की गुणवत्ता किसी भी समय निम्न स्तर का पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रकाशित है जिसकी विधि मान्यता दो वर्ष के लिये है। निविदा में अंकित दवा की आपूर्ति BMSICL के द्वारा आपूर्ति करने अथवा उक्त दवा का दर BMSICL में कम रहने की स्थिति में संबंधित चयनित फर्म से दवा नहीं ली जाएगीं।
6. निविदा में फर्म के मालिक/पार्टनर/निदेशक का नाम, पता एवं हस्ताक्षर तथा दूरभाष संख्या का उल्लेख होना आवश्यक है।
7. निविदा कम्प्यूटराईज्ड होना चाहिए। हस्तलिखित अथवा अपठनीय निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निविदा निबंधित/स्पीड–पोस्ट से प्राप्त किया जाएगा। कूरियर अथवा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. किसी भी परिस्थिति में निविदा में अंकित दर की बोली नहीं लगेगी।
10. निविदा दाता को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पागल, नाबालिग या दिवालिया एवं विवादित फर्म निविदा नहीं देंगे।
11. सभी दवा का दर अस्पताल भंडार तक पहुँचाकर होगा। अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
12. औषधि की आपूर्ति के लिए स्वीकृत निविदादाता/निविदादाताओं को आपूर्ति के समय निर्माता का Analytical Report समर्पित करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा संबंधित आवश्यक संशोधन अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदा संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा हेतु न्यायिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा।
15. निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले दिन (अवकाश की स्थिति में) अगला कार्य दिवस को निविदा खोली जाएगी जिसमें निविदादाता/उनके अधिकृत दुत रह सकते है।
16. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि की सूचना तकनिकी निविदा खोलने के दिन सूचित कर दिया जाएगा।
17. विपत्र कोषागार से पारितोपरांत भुगतान के समय नियमानुसार श्रोत पर सभी करों की कटौती की जायेगी।
18. दवा की गुणवत्त जॉच हेतु यदि विभाग से 2% राशि कटौति का निर्देश प्राप्त होता है तो संबंधित आपूर्ति कर्त्ता को उनके दवा दर की राशि का 2% कटौति भुगतान के पूर्व की जा सकती है।

9268
14.11.17

14/11/17

अशैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।